



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC *Assisting Cooperatives. Always!*

National Workshop on
**New Ordinances:
New Opportunities for Cooperatives**

3 September, 2020 Thursday at 11: 00 AM

Organised by
National Cooperative Development Corporation

In partnership with
The Department of Agri, Coop & Farmers Welfare, Gol
The Department of Food & Public Distribution, Gol
The Government of Bihar,
The Government of Gujarat,
The Administration of UT of Jammu & Kashmir,
The Government of Karnataka,
The Government of Mizoram,
The Government of Odisha

CONCEPT PAPER & AGENDA

Registration for Zoom webinar at <https://webinar.ncdc.in/>

Live streamed ALSO on YouTube **SAHAKAR COOPTUBE NCDC Channel**

**WORKSHOP ON
THE NEW ORDINANCES AND NEW OPPORTUNITIES FOR COOPERATIVES
CONCEPT PAPER**

INTRODUCTION:

Indian economy highly dependent upon agriculture. Over 70% of the rural households depend on agriculture. It contributes about 18% to the total GDP and provides employment to over 60% of the population. However, our farmers have not benefitted much. One of the main objectives of the Government of India is Doubling The Farmers Income by 2022. Keeping this in view, the Government of India have promulgated three ordinances to bring about the most awaited regulatory reforms in agriculture sector. Through these ordinances, the Government intends to liberalise the regulatory system in agriculture sector, provide freedom to farmers / traders to trade in farm produce at a site of their choice such as farm gates, warehouses apart from APMC throughout the country. Farmers are also given freedom to enter into legal contracts with traders, exporters, companies engaged in agricultural activities.

THE THREE NEW ORDINANCES

(i) THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020:

The Essential Commodities Act, 1955 has been amended through this ordinance. The amendment would deregulate the supply, storage and trade from government control of the commodities such as cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potatoes except under exceptional circumstances such as war, famine, extraordinary price rise and natural calamity. Government can interfere only in case of 100% increase in retail price of horticulture produce and 50% in case of non perishable produces. In case units involved in processing/value chain government will not interfere up to the total installed capacity of the unit or total demand of export in case of exporter. The freedom to produce, hold, move, distribute and supply will lead to harnessing economies of scale and attract cooperative sector investment into the agriculture sector. It will help drive up investment in cold storages and modernization of the food supply chain resulting in development of economy.

Opportunities for cooperatives due to deregulation of storage, processing & export:

- Storage: Societies can increase their storage capacity and keep the produce of farmers in these godowns and help the farmers to get the appropriate value at appropriate time for their produce. Societies can extend the working capital finance to the farmers against the stored produce.
- Processing & Export: Societies can purchase produce of farmers at appropriate price and through sorting, grading, processing add value and sale/export resulting in additional income for societies as well as farmers. Due to synergy of economics the realised value of produce will be more and societies may distribute their additional profit among the members as dividend. This will increase credibility of the society among the farmers

(ii) THE FARMERS PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE, 2020:

Keeping in view of the concept one nation one market an ecosystem has been developed where the farmers and traders would enjoy freedom of choice of sale and purchase of

agricultural produce anywhere in the country. Now the farmers and traders can trade/sell their produce anywhere along-with the APMC. There is no fees for trading of agricultural produce. Any person holding PAN can trade with farmers/traders without any registration in agricultural produce. It has been made mandatory to pay the sale proceeds on the same day or within three days. To boost trading in electronic medium and to have the real time data cooperative society/FPO/any person with PAN can trade on electronic trading transaction platform. It also proposes to set up a separate dispute resolution mechanism for the farmers.

Opportunities for cooperatives due to freedom to sale of agriculture produce anywhere in the country:

- Societies can sale the agricultural produce straightaway from their godowns to any wholesale traders/companies and also trade through electronic platform.
- Societies will be in a position to bargain with the traders due to considerable quantity of agricultural produce. Apex state level societies may enter into future trades depending upon the storage quantity of agricultural produce stored in different societies of the state.
- PAN is not mandatory for societies to trade.

(iii) THE FARMERS (EMPOWERMENT AND PROTECTION) AGREEMENT ON PRICE ASSURANCE AND FARM SERVICES ORDINANCE, 2020

It aims at providing a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and thus eliminating intermediaries resulting in full realization of price. Farmers have been provided adequate protection. Sale, lease or mortgage of farmers' land is totally prohibited and farmers' land is also protected against any recovery. It also provides an effective dispute resolution mechanism with clear timelines for redressal thereof. It contains mechanisms which would transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor.

Opportunities for cooperatives due to allowing & legalising contract farming:

- Cooperative societies can enter in an agreement with the wholesale trader/processor to supply agricultural produce in large quantity at appropriate rate. Since, societies have considerable amount of produce from their members they will be in position to bargain with the traders/companies to get the profitable price of the produce.
- In case of fruits and vegetables, societies will be in winning position as fruits and vegetables do not have MSP like agricultural produce. Due to contract farming societies will be in a position to realise the profitable value of the produce.

ROLE OF COOPERATIVES:

The inherent objectives of the three ordinances can easily be achieved through cooperatives. 85% of the farmers of the country are small and marginal having land holding less than 2 hectares. Small and marginal farmers do not have excess agricultural produce to sale after their own consumption and it is not feasible for them to take the produce to the market/city. If cooperative societies can come forward and collect the surplus of agricultural produce from members, store them and sell it to the processors/traders/exporters, then it will be profitable. Since due to these ordinances small and marginal farmers at their individual level can enter into any trade with agriculture business firms/processor /wholesale traders /exporters, but no such entity will not enter into any agreement with the small and marginal farmer as it is not practical, now the role of cooperative societies becomes more important, they can enter

into such agreements on behalf of their members depending upon collective amount of agricultural produce of particular variety.

AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND:

To make farmers self reliant under *Atmanirbhar Bharat Abhiyan* Hon'ble Prime Minister launched this scheme. It is Central Sector Scheme, through which ₹1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm gate & aggregation points such as PACS, FPOs, Agriculture Entrepreneurs, Start ups, etc. It will help to mobilize a medium-long term debt finances for investment in a viable projects for Post Harvest Management Infrastructure and community farming assets through incentives and financial support. The scheme will be operational from 2020-21 to 2029-30. All loans under this scheme will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹2.00 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years.

AGRICULTURE MARKETING INFRASTRUCTURE (AMI) UNDER ISAM:

GBY/AMI sub-scheme of ISAM has been implemented since 2001. The guidelines of the scheme have been changed in 2018 and it is operational up to 31.03.2021 or till the date of recommendations of the 15th Finance Commission comes into effect, whichever is earlier. This scheme envisages back ended capital subsidy for investment in eligible infrastructure for storage projects as well as infrastructure projects other than storage such as setting up farmers consumer markets, rural haats, primary processing like cleaning, drying, shorting, packing, stitching, waxing, ripening, refrigeration, etc. Further, mini dal mill, mini oil expeller are also eligible to get funded. The ancillary infrastructure up to 25% of project cost like parking shed, internal road, garbage disposal system, boundary walls, drinking water are also eligible under the scheme. The maximum ceiling of subsidy for general category of societies is ₹75.00 lakh and ₹25.00 lakh for storage infrastructure projects and for infrastructure projects other than storage respectively.

NCDC ROLE IN CREATING STORAGE FACILITIES:

NCDC has played a vital role in creation of storage facilities in the country. As per the report of Doubling the Farmers Income Committee (Vol IV) the total storage capacity created in the country in different sectors was 165.74 million metric tonne of which 34.86 created by the ISAM(Coop+Private), 27.37% by SWC, 15.07 MMT (9.09%) by Cooperative Sector, 21.67% by FCI and 7.07 % CWC. NCDC has funded for creation of 16.51 million MT of the storage capacity to cooperatives. In the cold chain sector NCDC has created capacity of 9.66 lakh MT against a total capacity of 349.56 lakh MT in the country.

OBJECTIVES OF THE WORKSHOP

The overarching goal of the workshop on 'THE NEW ORDINANCES AND NEW OPPORTUNITIES FOR COOPERATIVE SECTORS' is to discuss the opportunities among the various stakeholders and brainstorm the various possibilities for promotion of entrepreneurship through cooperatives. At the same time, the workshop will identify the bottlenecks of the existing scheme of AMI sub scheme of ISAM at various levels and will aim at evolving options. The key beneficiaries of this workshop are the PACS, Processing Societies and other cooperatives. The workshop aims to augment the awareness about the new regulatory changes through the Ordinances from a business point of view and also come up with an actionable, time bound plan which will contribute towards attaining the vision of Doubling the Farmers Income by 2022. Specifically, the workshop would aim to develop a framework to use AIF fund & AMI scheme by the NCDC for maximise the benefits of cooperatives.

The tentative outline of the workshop on remote video mode will be as follows:

A. Technical Sessions

- i. New Ordinances: Impact on Cooperatives

- ii. New opportunities arise due to regulatory changes
- iii. Agriculture Infrastructure Fund
- iv. AMI sub scheme of ISAM
- v. Role of NCDC – 3Cs (Cooperative Corporate Collaboration)

B. Experience sharing

C. Way Forward

EXPECTED PARTICIPATION

Cooperatives, DACFW, DFPD, ICAR, NCDC, CWC, WDRA, NCUI, State Governments / UT Adm (Agriculture, Cooperation, Food, SSI, Food Processing Deptt), NCDC regional offices, private sector stake holders and Think Tanks.

National Workshop on
New Ordinances: New Opportunities for Cooperatives

3 September, 2020 Thursday at 11: 00 AM

Organised by
National Cooperative Development Corporation

In partnership with
The Department of Agri, Coop & Farmers Welfare, Gol
The Department of Food & Public Distribution, Gol
The Government of Bihar,
The Government of Gujarat,
The Administration of UT of Jammu & Kashmir,
The Government of Karnataka,
The Government of Mizoram,
The Government of Odisha



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!

AGENDA

Register for zoom webinar at <https://webinar.ncdc.in/>

Indian Std Time	Program
11:00 – 11:05 hrs	Anchor & Moderator: Ms Nandita Gupta , Jt Secy, DFPD, Gol
11-05- 11:08 hrs	Welcome address by Sh Sundeep Kumar Nayak , MD, NCDC
11:08-11:20 hrs	Special Address by Sh Sudhansu Pandey , Secretary DFPD, Gol
11:20– 11:35 hrs	Keynote Address by Sh Sanjay Agrawal , Secretary DAC&FW, Gol
11:35- 12:05 hrs	Address by (maximum 5 minutes each) <ol style="list-style-type: none">1. Sh L. Chuaungo, Chief Secretary, Mizoram2. Sh R. K. Khatri, Addl Chief Secy, Karnataka3. Dr Saurabh Garg, Pr Secy, Odisha4. Sh Navin Chaudhary, Pr Secy, J&K5. Sh Nalin Upadhyaya, Secretary, Gujarat6. Sh N. Saravana Kumar, Secretary, Bihar
12:05 – 12:20 hrs	Presentation: Opportunities for Cooperatives in New Ordinances by Sh S K Suman , NCDC
12:20 – 12:50 hrs	Voices of the Cooperatives <ol style="list-style-type: none">1. Sahakar Bharati2. NCUI3. Gujcomasol4. Primary cooperatives
12:50– 13:20 hrs	Q & A moderated by Ms Nandita Gupta , Jt Secy, DFPD, Gol
13:20 – 13:28 hrs	Summing up by Ms Nandita Gupta , Jt Secy, DFPD, Gol
13:28 hrs	Vote of thanks by Sh P. Prasad , Chief Director, NCDC

ZOOM प्लेटफॉर्म <https://webinar.ncdc.in> पर कृपया पर पहले पंजीकरण करायें

अवधारणा पत्र नए अध्यादेश एवं सहकारी क्षेत्रों के लिए नई संभावना विषय पर कार्यशाला का आयोजन

परिचय:

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश के लगभग 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि कार्य में संलग्न हैं। कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18% का है और साथ ही 60% से अधिक आबादी इससे रोजगार प्राप्त करता है। हालाँकि, कुछ कतिपय कारणों से देश के अन्नदाता किसानों को अपेक्षित लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है, इसी उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने तीन अध्यादेशों की घोषणा की है। इन अध्यादेशों के माध्यम से सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित विनियामक सुधार किया है जिसके द्वारा कृषि उपज के भंडारण की सीमा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया है। किसानों एवं व्यापारियों को उनकी पसंद एवं सुविधा के अनुसार कृषि उत्पादों को कृषि मंडियों के अतिरिक्त भी राज्य एवं देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता दी गयी है साथ ही किसानों को व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि कार्य में संलग्न कंपनियों के साथ साझेदारी करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

अध्यादेश:

(iv) आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020: **The Essential Commodities(Amendment) Ordinance, 2020**

इस अध्यादेश के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं के आपूर्ति, भंडारण एवं व्यापार को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करते हुए इन वस्तुओं पर किसी प्रकार की भंडारण सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा में ही लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकार हॉर्टीकल्चर उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100 प्रतिशत वृद्धि तथा नॉन पेरिशेबल उत्पादों के खुदरा मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि के उपरांत ही हस्तक्षेप कर सकती है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन में संलग्न इकाई के कुल स्थापित क्षमता या निर्यातकों के निर्यात की मांग की सीमा तक स्टॉक लिमिट के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। कृषि उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, विपणन एवं आपूर्ति आदि की स्वतंत्रता से बड़े पैमाने पर सहकारिताओं की सक्रिय भागीदारी से कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।

भंडारण एवं प्रसंस्करण एवं निर्यात को नियंत्रण से मुक्त होने के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के लिए अवसर:

- भंडारण : समितियाँ अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि करके किसानों की उपज को भंडारित कर सकती हैं तथा उचित समय में लाभकारी मूल्य दिलाने में किसानों की मददगार बन सकती हैं। किसानों की आवश्यकता के अनुरूप उनके भंडार किये गये उत्पादों के सापेक्ष कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करा सकती हैं।
- प्रसंस्करण एवं निर्यात: कृषि उत्पादों के मूल्य संबर्धन करने हेतु उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर क्रय करके शार्टिंग, ग्रेडिंग एवं प्रसंस्कृत कर लाभकारी मूल्य पर विक्रय/निर्यात कर सकती हैं, जिससे किसानों के साथ साथ समितियों को भी लाभ होगा। अधिक मात्रा में होने के कारण उत्पादों का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। समितियाँ अपने इस अतिरिक्त लाभ को सदस्यों को लाभांश के रूप में वितरित करेंगी जिससे समितियों की विश्वनीयता किसानों में बढ़ेगी।

(v) कृषि उपज, वाणिज्य, और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020: The Farmer's Produce, Trade, and Commerce(Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020

एक देश एक बाजार के अवधारण को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्यादेश के द्वारा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र (Eco System) का निर्माण किया गया है जिसमें किसान एवं व्यापारी अपनी सुविधा एवं पंसद के अनुसार कृषि उपजों की खरीद - बिक्री देश में कहीं भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब किसान एवं व्यापारी राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के अतिरिक्त भी राज्य या देश में कहीं भी निर्बाध रूप से कृषि उपजों का व्यापार कर सकता है। कृषि उत्पादों के व्यापार पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति बगैर किसी पंजीयन के किसानों से या अन्य व्यापारियों से कृषि उत्पादों का व्यापार कर सकता है। किसानों से किसी भी प्रकार के व्यापार की स्थिति में उसी दिन या सौदा होने के तीन दिनों के अन्दर किसानों को भुगतान अनिवार्य किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके किसानों एवं व्यापारियों को रियल टाइम डेटा मिल सके इसके पैन कार्ड धारी कोई भी संस्था, एफपीओ या सहकारी समिति इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एवं ट्रांजैक्शन प्लेटफार्म का गठन कर उसे संचालित कर सकता है। किसानों के किसी भी विवाद का शीघ्र निपटान करने के लिए अलग से एक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।

कृषि उपजों की खरीद - बिक्री देश में कहीं भी करने के लिए स्वतंत्रता होने के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के लिए अवसर:

- समितियाँ अपने भंडारगृह से सीधे किसी कंपनी या थोक व्यापारी को अपने उत्पादों का विक्रय कर सकती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी व्यापार कर सकती है।
- उत्पादों की मात्रा अधिक होने के कारण सहकारी संस्थाएँ उत्पाद के लाभकारी मूल्य हेतु व्यापारियों से मोल भाव करने की स्थिति में होगी। शीर्ष सहकारी संस्थाएँ प्रदेश की अन्य सहकारी संस्थाओं में उत्पादों की स्टॉक स्थिति के अनुसार वायदा कारोवार भी कर सकती है।
- सहकारी समितियों के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता नहीं है।

(vi) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020

इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कृषि समझौतों से संबंधित एक ऐसा ढाँचा तैयार करना है जिसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें एग्री बिजनेस फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े व्यापारियों के साथ उचित एवं पारदर्शी तरीके से आकर्षक मूल्यों पर जुड़ने के लिए प्रेषित किया जा सके जिससे कि बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सके। इसमें किसानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसानों की भूमि की बिक्री, पट्टे या बंधक पर लेना पूरी तरह से निषिद्ध है साथ ही किसानों की भूमि किसी भी प्रकार के वसूली से पूर्णतः सुरक्षित है। कृषि समझौतों पर किसी भी प्रकार का स्टॉप ड्यूटि देय नहीं है। किसी भी विवाद के निवारण के लिए स्पष्ट समयसीमा के साथ एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि बाजार की अप्रत्याशित जोखिम किसानों के बजाय प्रायोजकों पर होगी।

कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के लिए अवसर:

- सहकारी संस्थाएँ किसी बड़े व्यापारी या प्रोसेसर से किसी भी कृषि उत्पादों के निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर पर आपूर्ति हेतु समझौता कर सकती है। चूंकि समितियों के पास उनके सदस्य किसानों के

कृषि उत्पादों की मात्रा बड़े पैमाने पर होती है, अथवा वह सदस्य किसानों से उस विशेष उत्पाद का कराने में सक्षम होने के कारण वह बड़ी कंपनियों/व्यापारियों से समझौते में मोलभाव कर लाभान्वित हो सकती है।

- फल एवं सब्जी के क्षेत्र के सहकारी समितियों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि फल एवं सब्जी जैसे कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिल पाता है। लेकिन कान्ट्रैक्ट फार्मिंग होने की स्थिति में इन उत्पादों का भी लाभकारी मूल्य समितियों के माध्यम से किसानों को मिल सकती है।

सहकारिता की भूमिका:

उक्त तीनों अध्यादेशों में अर्न्तनिहित उद्देश्यों की प्राप्ति सहकारिताओं या एफपीओज के माध्यम से ही संभव है। देश के 85 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। लघु एवं सीमांत किसानों के पास बिक्री योग्य कृषि उत्पादों की मात्रा उनके खुद के प्रयोग के बाद काफी कम बचती है जिसके कारण उसे उसे किसी दूसरे शहर में ले जाकर या किसी बड़े व्यापारी को बेचना वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है। यदि सहकारी समितियों/एफपीओज के माध्यम से इनके सभी सदस्यों के मार्केट सरप्लस कृषि उत्पादों को एकत्रित एवं भंडारित कर किसी प्रोसेसर, निर्यातक या बड़े व्यापारी से बेचा जाए तभी यह लाभकारी हो सकता है। इन अध्यादेशों से लघु एवं सीमांत किसान व्यक्तिगत स्तर पर किसी एग्री बिजनेस फर्म, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े व्यापारियों से कृषि पूर्व समझौता करने का अधिकार तो प्राप्त हो गया है लेकिन कोई भी बड़ा व्यापारी किसी लघु एवं सीमांत किसान से समझौता करे यह व्यवहारिक नहीं है। यहीं पर सहकारी समितियों/एफपीओज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सहकारी समितियाँ निर्यातकों या बड़े व्यापारियों से निर्धारित किस्म का पैदावार निर्धारित मात्रा में देने के लिए कृषि पूर्व समझौता कर सकती है।

कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Marketing Infrastructure)

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री ने कृषि अवसंरचना निधि योजना की शुरुआत की है। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसके तहत कृषि से संबंधित अवसंरचना के निर्माण के लिए 1,00,000 (एक लाख) करोड़ रुपये के वित्त पोषण का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना का निर्माण फार्म गेट एवं एग्रीगेशन केन्द्र पर पैक्स, एफपीओज, कृषि उद्यमी, कृषि स्टार्ट अप आदि द्वारा किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत फसल कटाई के बाद जरूरी अवसंरचना के निर्माण और सामुदायिक खेती हेतु परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु मध्यम व दीर्घ अवधि की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना 2020-21 से प्रारंभ होकर वर्ष 2029-30 तक चालू रहेगी। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 2.00 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा पर 3% प्रति वर्ष का ब्याज छूट प्राप्त होगा। ब्याज छूट का लाभ अधिकतम अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा।

कृषि-बाजार अवसंरचना (AMI Sub Scheme of ISAM)

ग्रामीण भंडारण योजना (GBY)/कृषि बाजार अवसंरचना (AMI) वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई थी। संशोधित दिशा निर्देशों के साथ यह योजना दिनांक 31.03.2021 तक या 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो तक लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए भंडारण क्षमता का निर्माण एवं उनके कृषि उत्पादों के मूल्य वृद्धि हेतु प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई निर्माण एवं कृषि बाजारों की स्थापना करना है जिससे कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत भंडारण इकाई के निर्माण के सामान्य वर्ग के सहकारी समितियों को 875/- रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से अधिकतम 75.00 लाख रुपये तक का बैंक एडेड अनुदान प्रदान किया जाता है साथ ही प्राथमिक प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना एवं कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए हाट/बाजार आदि के निर्माण के लिए 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।

भंडारण क्षमता के निर्माण में NCDC की भूमिका :

एनसीडीसी ने देश में भंडारण सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीएफआई रिपोर्ट (Vol.IV) के अनुसार मार्च 2017 तक विभिन्न क्षेत्रों में देश में कुल भंडारण क्षमता 165.74 मिलियन मीट्रिक टन थी, जिसमें 34.86 % ISAM योजना द्वारा (निजी क्षेत्र + सहकारी संस्था) बनाया गया, 27.31% राज्य भंडारण निगमों द्वारा बनाया गया, 15.07 MMT क्षमता (9.09%) सहकारी क्षेत्र द्वारा बनाया गया, 21.67 % FCI द्वारा और 7.07% CWC के द्वारा बनाया गया। एनसीडीसी ने 31.03.2020 तक 16.51 मिलियन मीट्रिक टन के निर्माण कार्य के लिए वित्त पोषण किया है। कोल्ड चेन के क्षेत्र में एनसीडीसी ने देश की कुल क्षमता 349. 56 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 9.66 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का निर्माण हेतु वित्त पोषण किया है।

कार्यशाला का उद्देश्य

नए अध्यादेश एवं सहकारी क्षेत्रों के लिए नई संभावनाएँ विषय पर प्रस्तावित कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के बीच नए अध्यादेशों से उत्पन्न अवसरों पर चर्चा करना और सहकारी समितियों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार मंथन करना है। इसके साथ ही कार्यशाला में विभिन्न स्तरों पर एएमआई योजना में संशोधन की संभावनाओं की पहचान कर उसमें होने वाले परिवर्तनों को सूचिवद्ध करने का भी लक्ष्य है। इस कार्यशाला के प्रमुख लाभार्थी पैक्स, प्रोसेसिंग समितियाँ, विपणन समितियाँ, और अन्य सहकारी समितियाँ आदि होंगी। कार्यशाला का उद्देश्य अध्यादेशों के कारण उत्पन्न अवसरों की पहचान कर उसके क्रियान्वयन हेतु व्यवसायिक कार्य योजना बनाना है जिससे कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी की जा सके। विशेष रूप से एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना निधि के सहकारी समितियों एवं एनसीडीसी द्वारा कैसे प्रयोग में लाया जाए इसकी रूपरेखा तैयार करने का प्रयास होगा।

दूरस्थ वीडियो मोड पर 150 मिनट के प्रस्तावित कार्यशाला की रूपरेखा निम्नानुसार है:

A. तकनीकी सत्र

- vi. नए अध्यादेश: सहकारिताओं पर प्रभाव
- vii. नियामक परिवर्तनों से सहकारिता क्षेत्र के लिए उत्पन्न नए अवसर
- viii. कृषि अवसंरचना निधि (Agri Infra Fund)
- ix. कृषि बाजार अवसंरचना एवं संभावित संशोधन (AMI)
- x. बदले हुए परिवेश में एनसीडीसी की भूमिका – 3Cs(कॉपरेटिव, कारपोरेट कोलाबोरेशन)

B. अनुभवों का आदान प्रदान किया जाना

C. आगे की राह

अपेक्षित भागीदारी

सहकारी समितियाँ, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, डब्ल्यूडीआरए, एनसीयूआई, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता, कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंकरण आदि विभाग, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रख्यात सहकारी संस्थाएँ एवं फेडरेशन, निजी क्षेत्र के स्टैक होल्डर एवं संबंधित क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति।